1/16 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
A3

अपील सूचना का अधिकार संख्या 01/2016 श्री सुरेन्द्रकुमार सियाग पुत्र श्री सुखराम सिहाग निवासी वार्ड न0 15 वी.पी.ओ मक्कासर तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्रकुमार सियाग को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार सियाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0 पत्र दिनांक 31.10.2015 के द्वारा तहसीलदार, रायसिंहनगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> 1– चक न0 27 पी.एस. पटवारी हल्का लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में खाता संख्या सं0 58/57 पथर न0 234/288 मु0न0 44 किला न0 1 ता 25 जो कि मनीराम वल्द जीवनराम वगैरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को इनके द्वारा कब रहन रखा गया व किस किस के द्वारा रहन रखा गया एवं रहन रखते समय इनके द्वारा क्या क्या दस्तावेज पेश किये गये की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं वर्तमान में चालु जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति दी जावे।
>
> 2– उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी अनुसार चिमनीराम–चतुर्भज कौम महाजन निवासी महाजन साकिन हनुमानगढ के रहननामा लिखवाया है उस रहननामा की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे।

अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार सियाग द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 177 दिनांक 18.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी सुरेन्द्रकुमार को पत्र सं0 3964 दिनांक 19.11.2015 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व रिकार्ड उपलब्ध नही है जिस कारण चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।

तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के संबंध में पत्र संख्या भू.अ./15/3964 दिनांक 19.11.2015 से निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या 1–आप द्वारा चक न0 27 पी.एस. के खाता संख्या सं0 58/57 पथर न0 234/288 मु0न0 44 के किला न0 1 ता 25 जो मनीराम वल्द जीवनराम वगैरा के नाम दर्ज भूमि राजस्व रिकार्ड में कब रहन रखा गया व किस किस के द्वारा रहन रखा गया एवं रहन रखते समय क्या क्या दस्तावेज पेश किये गये की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं वर्तमान में चालु जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति चाही गई है।

मनीराम वल्द जीवनराम वगैरा के नाम दर्ज भूमि राजस्व रिकार्ड में कब रहन रखा गया व किस किस के द्वारा रहन रखा गया एवं रहन रखते समय क्या क्या दस्तावेज पेश किये गये इस संबंध में लेख है कि मुताबिक जमाबन्दी व आपके प्रा0 पत्र के अनुसार चिमनीराम–चतुर्भज कौम महाजन निवासी महाजन सा0 हनुमानगढ के रहन दर्ज है अतः जिसका रहन रखी जाती है दस्तावेज उसी को पेश किये जाते है। अगर आप द्वारा कोई दस्तावेज इस कार्यालय में पेश किये गये है उसकी चित्रप्रति पेश करवायें। वर्तमान चालू जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति निर्धारित शुल्क जमा करवा कर जमाबन्दी खाता केन्द्र या पटवारी हल्का से प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु संख्या 2– आप द्वारा रहननामा की प्रमाणित प्रति चाही गई है। उक्त इन्तकाल रहननामा का मुताबिक रिकार्ड व रिपोर्ट पटवारी इस कार्यालय में उपलब्ध नही उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी अनुसार चिमनीराम–चतुर्भज कौम महाजन निवासी महाजन साकिन हनुमानगढ के नाम रहन दर्ज है।

मुताबिक रिकार्ड व रिपोर्ट पटवारी उक्त रहननामा का इन्तकाल इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः वांछित नकल उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।

तहसीलदार, रायसिंहनगर के उक्त प्रतिवेदन दिनांक 18.01.2016 में अंकित पत्र सं0 3964 दिनांक 19.11.2015 द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी बिन्दु सं0 1 में अंकित वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क जमा करवाकर खाता केन्द्र व संबंधित पटवारी हल्का से प्राप्त कर सकता है। तहसीलदार, रायसिंहनगर को यह भी हिदायत की जाती है कि अगर अपीलार्थी तहसील कार्यालय में रहन संबंधी कोई दस्तावेजात पेश किये जाने बाबत कोई साक्ष्य पेश करता है और वह कार्यालय में उपलब्ध हो तो उसे भी नियमानुसार शीघ्र उपलब्ध करवाया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर